

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद शाहजहांपुर में प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तूलाल चौराहा, रोजा अडडा चौराहा (चैनेज 0.00 से 2.750) हथौड़ा चौराहा-पुत्तूलाल चौराहा, (चैनेज 0.00 से 2.750) जी0आई0सी0 से अट्सलिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज 0.00-3.950) बरेली रोड से गर्गा रोड (चैनेज 0.00 से 1.800) तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 9.16 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 523 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

Proposal संख्या-FP/UP/Road/43247 / 2019

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी 32/81-2-2020-800(23)/2020, दिनांक 13-03-2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दि- 13-03-2020

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

मुख्य वन संरक्षक
राज्य सरकार
उत्तर प्रदेश